FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
?-2022 पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा बताया गया कि ग्राम मथानियाँ में खसरा नं. 915 रकबा 20 बीघा स्थित है। संवत 2036 (दो हजार छत्तीस) से 2039 (दो हजार उन्तालीस) के राजस्व रिकॉर्ड में मोती पुत्र लालू, जाति हरिजन का ½ (आधा) हिस्सा दर्ज था। वादी द्वारा दिनांक 08.02.84 (~~से~~ आठ फरवरी उन्नीस सौ चौरासी) को संपूर्ण आधा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हिस्सा वादी द्वारा मोती पुत्र भालू के वारिसान से क्रय कर लिया गया। वादीगण के अनुसार रतनलाल पुत्र अमृतराम, एवम् भंवरलाल पुत्र मोतीराम ने अपने आप का मोतीराम के वारिसान बताते हुए खसरा नं. 915 रकबा 20 (बीस) बीघा का आधा हिस्सा यानि मोती पुत्र लालू का संपूर्ण हिस्सा का बेचान जरिए विक्रय-पत्र दिनांक 08.02.84 को कर दिया। वादी द्वारा उस विक्रय-पत्र के आधार पर नामांतरकरण खुलवाने का प्रयास किया गया परंतु पटवारी की लापरवाही से राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण अपना नाम दर्ज नहीं करवा सके

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी के अनुसार वाद- दर्ज किये जाने से 3-4 माह पूर्व वादी को उपरोक्त वर्णित खसरे की भूमि पर का पुनः विक्रय किये जाने संबंधी जानकारी मिली। उस आधार पर वादी के द्वारा खातेदारी घोषणा हेतु न्यायालय में वाद दायर किया जाना आवश्यक हो गया।
वादी द्वारा वाद-पत्र में बताया गया कि विक्रय-पत्र के निष्पादन के पश्चात वादी को मालूम चलता है कि मोती पुत्र लालू के विक्रय-पत्र में वर्णित वारिसान के अलावा अन्य वारिसान भी है। वादी ने इस आधार पर बेचानकर्ता भँवरलाल पुत्र मोती एवम् रतनलाल पुत्र मगुला के संपूर्ण हिस्से अर्थात वादग्रस्त

खसरा नं. 519, रकबा 20 (बीस) बीघा में से $\frac{5}{24}$ (पाँच बटा चौबीस) हिस्से पर खातेदारी घोषणा, सहखातेदारान से विभाजन एवम् विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवम् 188 के तहत यह वादपत्र पेश किया है।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण ने मोती पुत्र लालू, जाति हरिजन का वादग्रस्त खसरा में संवत् 2036 से 2039 तक आधा ($\frac{1}{2}$) हिस्सा होना स्वीकार किया। परंतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र

फर्द अहकाम
(नियम 26)

पुकार

बनाम

नं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

का कूटरचित एवम् फर्जी होना
बताया। प्रतिवादीगण के अनुसार
वादीगण का वादग्रस्त खसरे पर
कब्जा ना कभी रहा ना है
आजदिनांक (जवाब प्रस्तुत करने
के दिवस) पर है। प्रतिवादीगण
द्वारा विक्रय-पत्र के आधारहीन
होने से खातेदार घोषणा हेतु
वादपत्र को खारिज किया जाने
हेतु न्यायालय से निवेदन किया।
प्रतिवादीगण के अनुसार विक्रय-पत्र
जिस दिन वादी के पक्ष में निष्पादित
किया गया उस दिवस को विक्रेता

रतनलाल के पिता अमृतलाल
नहीं हुए थे। प्रतिवादी ने स्वयं
वर्णित वादग्रस्त भूमि पर
का कब्जा स्वयं दिनांक 16-10-04
को किए गये रजिस्टर्ड बेचाननामे
के आधार पर अधिकार प्राप्त
होने संबंधी दलील दी।

उपरोक्त विवेचन

के आधार पर न्यायालय द्वारा
तनकियात कायम की गई।
तनकीवार विश्लेषण पत्रावली पर
मौजूद दस्तावेजों, साक्ष्यों के आधार
पर किया गया। तनकीवार
न्यायालय का विश्लेषण निम्नानुसार
है।

1. वादग्रस्त भूमि में वादी विक्रय-पत्र
के आधार पर $\frac{5}{24}$ (पाँच बटा चौब

हिस्से तक खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। (जिम्मो वादी)

- वादी द्वारा इस तनकी को साबित करने हेतु विक्रय-पत्र जो दिनांक 08-02-84 को वादी के पक्ष में मोतीराम के पुत्र भँवरुराम एवम् रतनलाल पुत्र भभूताराम द्वारा निष्पादित किया गया था, वादपत्र के साथ पेश किया। चूँकि बेचान के वक्त बेचानकर्ता का वादग्रस्त भूमि पर अधिकार संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किया। वादी यह भी साबित करने में असफल रहा कि बेचान की दिनांक यानि 08.02.84 (आठ फरवरी उन्नीस सौ चौरासी) को बेचानकर्ता रतनलाल के पिता भभूताराम जीवित नहीं थे। बेचान के दिवस राजस्व रिकॉर्ड की

दस्तावेज पेश

स्थिति के संबंध में दस्तावेज पेश
नहीं किया गया। यदि राजस्व
रिकॉर्ड में बेचानकर्ता का नाम
दर्ज नहीं हुआ तो किस आधार
पर रतनलाल पुत्र मंगूताराम द्वारा
वादग्रस्त खसरा का बेचान किया
गया। क्रेता यानि वादी द्वारा
बिना राजस्व रिकॉर्ड जाँच किए
एवम् बिना मोतीलाल के समस्त
वारिसान की जाँच किए वादग्रस्त
भूमि को क्रय किया गया। उपरोक्त
विश्लेषण से स्पष्ट है कि विक्रय
पत्र निष्पादन में खामियाँ रही।
विक्रेता द्वारा अपने हक-अधिकार
से अधिक भूमि का बेचान कर
दिया गया। इस विक्रय-पत्र के
आधार पर खातेदारी की घोषणा
किया जाना न्यायालय उचित नहीं

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ________ मुकाम ________

________ बनाम ________

किस्म मुकदमा ________ नं. ________ सन् ________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समझना। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों के अभाव में वादी यह साबित करने में असफल रहा कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। 2. वादी अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन मौके एवं बाउन्ड्स से करवाने का अधिकारी है। (विरुद्ध वादी) न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 के विश्लेषण के दौरान स्पष्ट किया है कि न्यायालय वादी को खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं समझते। इस तनकी में वादी	

मेरस एवं बाउडस से विभाजन का हकदार तभी माना जायेगा जब वह स्वातंत्री घोषणा का अधिकारी होगा। चूंकि वादी तनकी सं. 1 (एक) को साबित करने में असफल रहा अतः तनकी सं. 2 (दो) वादी के पक्ष में नहीं फैसल की जा सकती।

3. वादी स्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

– तनकी सं. 1 (एक) एवम् दो (2) में किए गये विश्लेषण के आधार पर वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

4. वादी ने धारा 80 का नोटिस नहीं दिया जाना आवश्यक था। (प्रतिवादी)

– उस तनकी के आधार तभी

होगा यदि सरकार के विरुद्ध कोई वाद दायर किया जाता। इस वाद में तहसीलदार एक आवश्यक पक्षकार है परंतु यह वाद सरकार के विरुद्ध नहीं है अतः नोटिस नहीं दिए जाने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

अतः तनकीवार विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को CPC धारा 80 का नोटिस नहीं दिए जाने मात्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत खातेदारी घोषणा अस्वीकार किया जाता है। वादी विभाजन एवम् स्थायी निषेधाज्ञा ~~करना~~ प्राप्त करने

का अधिकारी भी नहीं है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रथम दृष्ट्या उभर कर आयी खामियां, दस्तावेजों एवम् साक्ष्यों के अभाव में वादी द्वारा स्वयं के पक्ष में चाहे गये अनुतोष को साबित करने में असफल रहे। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवम् 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल की जाकर इसी स्तर पर समाप्त होकर संधारित किये जावे।

29/07/22

सहायक कलेक्टर, चौमूँ